

जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक मुहर

(लेखक-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी)

- चुनौती याचिका 20 मई 2026 को खारिज-संवैधानिक वैधता, सामाजिक न्याय और भारत की नई नीति- व्यवस्था की दिशा का व्यापक समग्र विश्लेषण

भारत की जनगणना 2027 डिजिटल ड्रॉइंग और डेटा-आधारित गवर्नेंस के सबसे बड़े प्रशासनिक अभियानों में से एक माना जा रहा है

सुप्रीम कोर्ट का 20 मई 2026 का यह फैसला केवल एक याचिका खारिज करने तक सीमित नहीं है बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय की अवधारणा और डेटा- आधारित शासन प्रणाली के भविष्य को दिशा देने वाला निर्णय

वैश्विक स्तरपर भारत में वर्षों से चल रही जातिगत जनगणना की बहस को बुधवार 20 मई 2026 को एक निर्णायक मोड़ तब मिला, जब भारतीय सुप्रीमकोर्ट ने जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले ने केवल एक कानूनी विवाद का अंत नहीं किया,बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी दे दिया कि भारत में होने वाली जनगणना 2027 पूरी तरह संवैधानिक,कानूनी और नीतिगत अधिकारों केदायरे में संचालित की जा रही है। बता दें इसके पूर्व भी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (11 अप्रैल , 2026) को केंद्र को जाति जनगणना रोकने का निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दियाथा और जनहित याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा के लिए याचिकाकर्ता की कड़ी आलोचना की। पिछले कुछ महीनों से जातिगत जनगणना को लेकर राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक स्तर पर तीखी बहस चल रही थी। कुछ वर्ग इसे सामाजिक न्याय का आधार बता रहे थे, जबकि विरोधी पक्ष इसे सामाजिक विभाजन बढ़ाने वाला कदम कह रहा था। किंतु सर्वोच्च अदालत के ताजा निर्णय ने यह स्थापित कर दिया कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को यह अधिकार है कि वह देश की सामाजिक संरचना, विशेषकर पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या और स्थिति को समझने के लिए डेटा एकत्र करे, ताकि उसके आधार पर कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकें। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोदिया महाराष्ट्र, यह मानता हूँ कि

भारत की जनगणना 2027 केवल एक पारंपरिक जनगणना नहीं मानी जा रही,बल्कि इसे डिजिटल ड्रॉइंग और डेटा-आधारित गवर्नेंस के सबसे बड़े प्रशासनिक अभियानों में से एक माना जा रहा है। लगभग डेढ़ सौ वर्षों से चली आ रही जनगणना व्यवस्था अब तकनीकी रूप से आधुनिक स्वरूप में प्रवेश कर चुकी है।

साथियों इस बार की जनगणना दो बड़े चरणों में आयोजित की जा रही है पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हुआ,जिसमें हाउस लिस्टिंग और आवासीय गणना की प्रक्रिया अपनाई गई। 16 अप्रैल से 15 मई 2026 तक चले इस चरण में देशभर के घरों,संपत्तियों,भवनों, आवासीय सुविधाओं, जल स्रोतों, बिजली, इंटरनेट, शौचालय, रसोई, वाहन और सामाजिक- आर्थिक आधारभूत संरचनाओं से संबंधित डेटा संकलित किया गया।यह चरण केवल जनसंख्या गिनने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह देश की जीवन- स्थितियों का व्यापक सामाजिक -आर्थिक सर्वेक्षण भी बन गया।जनगणना का दूसरा चरण वर्ष 2027 में प्रारंभ होगा, जिसमें प्रत्येक परिवार और उसके सदस्यों की विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी दर्ज की जाएगी। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, टैबलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।इसकारण का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों को अब सामाजिक न्याय और संसाधन वितरण के दृष्टिकोण से सटीक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

साथियों, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि जातिगत जनगणना करना या न करना सरकार का नीतिगत अधिकार है।अदालत ने कहाकि जब तक कोई नीति सविधान या कानून का उल्लंघन नहीं करती, तब तक न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत की यह टिप्पणी भारतीय लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को भी मजबूती देती है, जहां नीति निर्माण कार्यपालिका का क्षेत्र माना जाता है और न्यायपालिका केवल

वैधानिकता की समीक्षा करती है। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के लिए यह जानना जरूरी है कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग और सामाजिक रूप से वंचित समूहों की वास्तविक संख्या कितनी है,ताकिउनके लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकें।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जाति आधारित गणना अपने आप में असंवैधानिक नहीं है यदि सरकार सामाजिक और आर्थिक नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आंकड़े जुटाना चाहती है, तो यह उसका वैध प्रशासनिक अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि किसी नीति के संभावित दुरुपयोग की आशंका मात्र से उसे रोकना नहीं जा सकता। यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यही था कि जातिगत आंकड़ों का राजनीतिक और सामाजिक दुरुपयोग हो सकता है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि सरकार के पास पहले से ही पर्याप्त सामाजिक डेटा उपलब्ध है, इसलिए अलग से जातिगत गणना की आवश्यकता नहीं है। किंतु अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि सरकार को सरकारीन और प्रमाणिक आंकड़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुराने डेटा के आधार पर प्रभावी नीति निर्माण सटीक रूप से संभव नहीं है।

साथियों, यह फैसला सामाजिक न्याय की राजनीति और प्रशासनिक नीति दोनों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। भारत में लंबे समय से यह बहस चलती रही है कि आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक प्रतिनिधित्व का वास्तविक आधार क्या होना चाहिए। अनेक विशेषज्ञों का मानना रहा है कि बिना अद्यतन जातिगत आंकड़ों के सामाजिक न्याय की नीतियां अचूरी रहती हैं। स्वतंत्र भारत में 1931 के बाद व्यापक स्तर पर जातिगत आंकड़े उपलब्ध नहीं रहे, जिसके कारण पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या और उनकी सामाजिक- आर्थिक स्थिति को लेकर लगातार विवाद बना रहा। ऐसे में जनगणना 2027 को एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जो देश की सामाजिक संरचना का वास्तविक चित्र सामने ला सकती है।

साथियों, राजनीतिक दृष्टि से भी यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है। कई राज्यों में जातिगत सर्वेक्षण और

सामाजिक गणना पहले ही राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन चुके हैं। बिहार, कर्नाटक और अन्य राज्यों में किए गए जातीय सर्वेक्षणों ने राष्ट्रीय स्तर पर बहस को और तेज किया। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की दिशा में आगे बढ़ना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि भविष्य की नीतियां अधिक डेटा-आधारित और लक्ष्य केद्रित होंगी। इससे यह भी संभावना बढ़ेगी कि सामाजिक योजनाओं में संसाधनों का वितरण वास्तविक जनसंख्या अनुपात और जरूरतों के आधार पर किया जा सके।

साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 11 अप्रैल 2026 को भी ऐसी ही एक याचिका को खारिज किया था, जिसमें केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी। उस समय अदालत ने याचिका में प्रयुक्त भाषा पर भी कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत का यह लगातार रुख स्पष्ट करता है कि वह जनगणना जैसे प्रशासनिक और नीतिगत विषयों में अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेप से बचना चाहती है। इससे यह संदेश भी गया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नीति निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी निर्वाचित सरकारों की होती है।जातिगत जनगणना के समर्थकों का तर्क है कि भारत जैसे बहुस्तरीय सामाजिक ढांचे वाले देश में समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक आंकड़े अत्यंत आवश्यक हैं। यदि सरकार को यह ज्ञात ही नहीं होगा कि किस समुदाय की आबादी कितनी है, उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति कैसी है, तो योजनाओं का सही लक्ष्य निर्धारण संभव नहीं होगा। यही कारण है कि अदालत ने भी सरकार की इस आवश्यकता को स्वीकार किया कि पिछड़े वर्गों की संख्या और स्थिति जानना शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक है।दुसरी ओर, विरोधियों की आशंका यह रही है कि जातिगत पहचान को फिर से केंद्र में लाने से सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। उनका मानना है कि आधुनिक भारत को जाति से ऊपर उठकर आर्थिक और मानव विकास के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि सरकार और अदालत दोनों ने यह स्पष्ट किया कि आंकड़े जुटाना और उनका दुरुपयोग करना दो अलग बातें हैं। यदि किसी नीति का उद्देश्य सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक

सुधार है, तो केवल संभावित राजनीतिक उपयोग के आधार पर उसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता।

साथियों, जनगणना 2027 की डिजिटल प्रकृति भी इसे ऐतिहासिक बना रही है। पहली बार इतनी व्यापक स्तर पर तकनीकी साधनों का उपयोग किया जा रहा है। डेटा संग्रहण की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और जूटिहीन बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था की गई है। इससे फर्जी या दोहराव वाले आंकड़ों को कम करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भारत की प्रशासनिक क्षमता और डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की बड़ी परीक्षा भी होगी।

साथियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की यह पहल ध्यान आकर्षित कर रही है। दुनिया के कई देशों में जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर सामाजिक नीतियां बनाई जाती हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ब्राजील जैसे देशों में नस्ल, जातीयता और सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े आंकड़े नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में जातिगत जनगणना को उसी व्यापक वैश्विक संदर्भ में देखा जा रहा है, जहां डेटा आधारित सामाजिक नीति को लोकतांत्रिक शासन का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल एक याचिका खारिज करने तक सीमित नहीं है। यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय की अवधारणा और डेटा-आधारित शासन प्रणाली के भविष्य को दिशा देने वाला निर्णय माना जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि जनगणना 2027 अब कानूनी और संवैधानिक रूप से मजबूत आधार पर आगे बढ़ेगी। सरकार को न केवल प्रशासनिक समर्थन मिला है, बल्कि न्यायपालिका की ओर से भी यह संकेत मिला है कि सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक आंकड़े जुटाना लोकतांत्रिक शासन का वैध हिस्सा है। आने वाले वर्षों में यह जनगणना भारत की सामाजिक संरचना, राजनीतिक विमर्श और आर्थिक नीतियों को गहराई से प्रभावित कर सकती है।

(-संकलनकर्ता लेखक - क र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यम सीए/ एटीसी)

राजनीति सनातन विरोध की बजाय आममुद्दों पर केद्रित हो

(लेखक- ललित गर्ग)

भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में एक ऐसा विमर्श लगातार उभर रहा है, जिसने राजनीतिक बहस को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मूल प्रश्नों से हटाकर धार्मिक पहचान और आस्था के इर्द-गिर्द खड़ा कर दिया है। यह विमर्श है-सनातन समर्थन बनाम सनातन विरोध। आज देश में एक ओर सनातन संस्कृति को भारतीय जीवन का शाश्वत आधार मानने वाली शक्तियां हैं, तो दूसरी ओर कुछ राजनीतिक वक्तव्य और प्रवृत्तियां ऐसी दिखती हैं जिन्हें जनमानस सनातन विरोध के रूप में देखता है। प्रश्न यह नहीं कि किसी विचारधारा से सहमति या असहमति क्यों है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या राजनीति का केंद्र धर्म होना चाहिए या जनजीवन के वास्तविक मुद्दे? भारत का लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष सविधान पर आधारित है, जहां राज्य का कार्य किसी धर्म का पक्ष या विरोध नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। राजनीतिक दलों का दायित्व भी यही होना चाहिए कि वे जनता की समस्याओं, विकास और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दें। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक विमर्श राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है। सनातन केवल एक धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक चेतना, जीवन-दर्शन और मूल्य परंपरा का प्रतीक है। 'सत्यं वद, धर्मं चर', 'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' जैसे सूत्र इसी सनातन दृष्टि के अंग हैं। इसलिए जब कोई राजनीतिक वक्तव्य सनातन को लेकर अपमानजनक या आक्रामक भाषा का उपयोग करता है, तो उसका प्रभाव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक स्तर पर भी पड़ता है। तमिलनाडु में द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म की तुलना बीमारी से करने वाला वक्तव्य इसी कारण व्यापक विवाद का कारण बना। विपक्ष के अनेक दलों ने उससे दूरी बनाने का प्रयास किया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि भारत

जैसे देश में करोड़ों लोगों की आस्था को आहत करने वाला कथन राजनीतिक रूप से भी असहज स्थिति उत्पन्न करेगा। यहां यह समझना आवश्यक है कि द्रविड़ आंदोलन की अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि रही है। उसका मूल संघर्ष सामाजिक विषमताओं और जातीय वर्चस्व के विकट था। लेकिन जब सामाजिक सुधार का विमर्श पूरे धर्म या संस्कृति के विरोध जैसा प्रतीत होने लगे, तब वह जनस्वीकृति खो देता है। यह भी सत्य है कि अनेक विपक्षी दल स्वयं को सनातन विरोधी नहीं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों, जातिवाद और भेदभाव के विरोधी बताते हैं। उनका तर्क है कि वे सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। यह दृष्टि लोकतंत्र में स्वीकार्य है, क्योंकि हर परंपरा में आत्मसमीक्षा और सुधार की आवश्यकता होती है। स्वयं भारतीय दर्शन में भी संवाद, बहस और आत्मचिंतन की परंपरा रही है। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, दयानंद और गांधी-सभी ने समाज की विसंगतियों पर प्रश्न उठाए, लेकिन उन्होंने समाज को तोड़ने नहीं, सुधारने का मार्ग चुना। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक भाषा संतुलन खो देती है। जब आलोचना सुधार की जगह अस्वीकार की भाषा बन जाती है, तब वह समाज में ध्रुवीकरण को जन्म देती है। भारत जैसे बहुलतावादी देश में यह प्रवृति लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं कहीं जा सकती।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का विमर्श अधिक प्रभावी होकर उभरा है। राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुत्थान जैसे विषयों ने एक बड़े वर्ग में सांस्कृतिक आत्मविश्वास को मजबूत किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ भी मिला। दूसरी ओर विपक्षी दल इस बदलते राजनीतिक मानस को समझने में कई बार असहज दिखाई दिए। कहीं उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और आस्था के बीच संतुलन बनाने में संकू की, तो कहीं उनके कुछ नेताओं के बयान उन्हें कठिन स्थिति में ले आए। उत्तर

संकल्प और साहस

खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली-पतली अपंग लड़की किसी तरह अपनी जगह से उठी। वह खेलों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करते हुए शिक्षक से ऑलिंपिक रेकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर सभी छात्र हंस पड़े। शिक्षक ने भी व्यंग्य किया- तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी। अपने ऊपर कभी नजर डाली है? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर ऑलिंपिक से तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें कौन सा खेलना है जो यह सब जानोगी। चुपचाप बैठकर सुनो।

रुआसी लड़की कुछ कह न सकी। सारी व्लास उस पर हंसती रही। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियां संभालीं और दृढ़ निश्चय के साथ बोली-सर याद रखिएगा। अगर लगन सच्ची हो

प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक चुनावी राजनीति में यह देखा गया कि केवल जातीय समीकरण या पारंपरिक वोट बैंक अब पर्याप्त नहीं हैं। जनता सांस्कृतिक पहचान, विकास और राष्ट्रीय विमर्श को भी महत्व देने लगी है। ऐसे में यदि कोई दल हिंदू आस्था के प्रति असंवेदनशील दिखता है, तो उसका राजनीतिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे विमर्श का दूसरा पक्ष भी है। क्या राजनीति का उद्देश्य केवल धार्मिक पहचान के आधार पर समर्थन जुटाना होना चाहिए? क्या देश के सामने मौजूद बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि संकट, आर्थिक असमानता और सामाजिक विघटन जैसे प्रश्न पीछे छूट जाने चाहिए? यह चिंता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों के दौरान धर्म, विशेषकर सनातन और हिंदू आस्था को लेकर कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक आदि विपक्षी दलों उप उनके कुछ नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को व्यापक जनसमुदाय ने सनातन पर आक्षेप या हिंदू भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता के रूप में देखा, जिसके राजनीतिक प्रभाव भी दिखाई दिए। किंतु इस विषय को केवल फ्रिंहदू विरोधक्ष बनाम फ़राजनीतिक विरोधक्ष के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। भारत एक लोकतांत्रिक और बहुलतावादी राष्ट्र है, जहां किसी भी राजनीतिक दल को सरकार, नीतियों या नेतृत्व का विरोध करना का अधिकार है, लेकिन यदि वह विरोध आस्था, संस्कृति और बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से टकराता हुआ प्रतीत होे, तो उसका राजनीतिक मूल्य चुकाना पड़ सकता है। यही कारण है कि कई दलों के लिए यह धारणा चुनौती बनी कि वे सत्ता-विरोध की राजनीति करतें-करतें सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनाओं से दूर हो गए हैं। भारत में सनातन केवल धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन, परंपरा, संस्कृति, सहिष्णुता और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसके प्रति असावधान भाषा या नकारात्मक संकेत जनमानस में प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करते रहे हैं।

संपादकीय
लू से हलकान जिंदगी
हाल के दिनों में आसमान से बरसती आग से देश में जन-जीवन बुरी तरह झुलस रहा है। रोज तापमान बढ़ने के नये रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। ये असहनीय तापमान केवल स्वास्थ्य की चुनौती मात्र नहीं है, बल्कि एक आर्थिक संकट भी है। देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक भीषण गर्मी में काम करने को मजबूर हैं। यदि वे ऐसा न करें तो उनके सामने आजीविका का संकट पैदा हो जाता है। स्कूल-कालेज तो लू के दौरान बंद किए जा सकते हैं, सरकारी व गैर सरकारी दफतरों में काम के घंटों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर व निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को तो तपती दोपहरी व लू के बीच काम करने को मजबूर होना पड़ता है। दरअसल, लू की मार जहां शारीरिक है, वहीं आर्थिक भी। लगातार बढ़ते तापमान से लोगों की आजीविका और श्रम उत्पादकता पर बुरा असर पड़ रहा है। इस संकट को हाल के दिनों में हुई ईंधन की कीमतों की वृद्धि और महंगाई ने और बढ़ा दिया है। लोगों को सीमित संसाधनों में जीवन यापन को मजबूर होना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि इस संकट का सबसे घातक प्रभाव उस तबकें को सहन करना पड़ता है जो 'रोज कुआ खोदकर पानी पीने' को बाध्य है। एक दिन की कमाई से ही रात को उसके घर का चूल्हा जलता है। लू के निशाने पर वे अनौपचारिक श्रमिक हैं जो भारतीय आर्थिकी की रीढ़ है। सही मायनों में लू के खिलाफ लड़ाई को अब केवल एक मौसमी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या ही नहीं माना जा सकता है। धीरे-धीरे यह एक गंभीर आर्थिक चुनौती भी बनी है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बाबत चेतावते रहे हैं। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनुमान लगाया था कि लू से उपजे हलात से भारत को सी अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। इससे पहले वर्ष 2022 में विश्व बैंक ने चेतावनी दी थी कि भारत का तीन-चौथाई श्रमिक वर्ग लू से प्रभावित क्षेत्रों में काम करने को मजबूर है। अनुमान है कि लू के तनाव के कारण होने वाली विश्वव्यापी नौकरियों की कमी में भारत की हिस्सेदारी आधी हो सकती है। दरअसल, भारत में सबसे अधिक जोखिम वाले समूहों में निर्माण श्रमिक, खेतिहर श्रमिक, किसान, स्ट्रीट वेंडर और डिलीवरी एजेंट शामिल हैं। हालांकि, समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकारों ने कार्य समय का पुनर्निर्धारण, छायादार विश्राम क्षेत्र बनाने, जलपान सुविधा, सुरक्षात्मक कपड़े और स्वास्थ्य निगरानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है,लेकिन फिर भी संकट के दायरे को देखते हुए ये उपाय नाकाफी हैं। देखा जाए तो फिलहाल भारत में गर्मी के संकट से मुक़ाबले के लिये बनायी गई योजनाएं काफी हद तक अस्थायी रूप से राहत देने वाली हैं। वक्त की मांग है कि भीषण गर्मी वाले महीनों के लिये तत्काल व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार किया जाए। ऐसा तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो लू चलने के दौरान सुरक्षित कार्य परिस्थितियों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करे। इस साल के आरंभ में वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि भीषण गर्मी के दौरान चलने वाली लू को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल किया जाए। निरसंदेह, इस वर्गीकरण से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से मिलने वाले धन का उपयोग लोगों को राहत और सहायता प्रदान करने में मदद देगा। इसके अलावा लू के दौरान कई अन्य नकारात्मक प्रभाव भी देखने में आते हैं। मसलन इस समय बिजली व पानी की खपत अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है।

विचार मंचन

(लेखक- सनत जैन)

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 1975 केवल एक वर्ष नहीं, बल्कि सत्ता, आर्थिक संकट और जनाक्रोश के टकराव का प्रतीक भी है। 2026 में देश की परिस्थितियों को देखकर बार-बार 1975 की महंगाई का वही प्रश्न उठता है, क्या भारत फिर किसी बड़े राजनीतिक और सामाजिक विस्फोट की ओर बढ़ रहा है? जिसमें सत्ता का परिवर्तन भी हुआ था। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर बांग्लादेश का निर्माण कराया था। करीब एक करोड़ शरणार्थियों का बोझ भारत ने उठाया। पाकिस्तानी सेना के 95000 से अधिक जवान आत्मसमर्पण कर भारत में रहे। युद्ध के बाद

अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध ने तेल संकट और आर्थिक प्रतिबंधों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। पेट्रोल, डीजल और खाद्यान्न की कमी ने महंगाई को विस्फोटक बना दिया। इंदिरा गांधी 1971 का युद्ध जीतकर फ़दुर्गाफ़ कहरलायीं, लेकिन 1974 आते-आते जनता की नजर में वही इंदिरा। गांधी की सरकार महंगाई और बेरोजगारी की प्रतीक बन गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी का चुनाव अयैध घोषित किया गया, इसने आंदोलन की आग में घी डालने और आंदोलन को उग्र किया। छात्र, कर्मचारी, ट्रेड यूनियन और विपक्ष एक मंच पर आ गए। जयप्रकाश नारायण ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया। रेलवे हड़ताल से लेकर विश्वविद्यालयों के छात्र आंदोलनों तक से

देश उबाल पर था। जेपी ने पुलिस और सेना को सरकार के आदेश नहीं मानने का आह्वान किया। जब सरकार को लगा कि आंदोलन नियंत्रित करना संभव नहीं है, सत्ता हाथ से निकल सकती है, तब 25 जून 1975 को सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया। लोकतंत्र को कुचलने की वह कीमत अंततः कांग्रेस को 1977 के चुनाव में चुकानी पड़ी। उत्तर भारत में कांग्रेस की करारी पराजय हुई। आज का भारत भले तकनीकी रूप से आधुनिक हो। आर्थिक और सामाजिक बेचेनी 1975 जैसी खतरनाक स्तर तक बढ़ती हुई दिख रही है। रुपया लगातार गिर रहा है। 97 के स्तर पर पहुंच गया है। महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, आयतन बढ़ गया है। विदेशी मुद्रा का संकट है। युवाओं में

बेरोजगारी को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। करोड़ों डिग्रिधारी युवा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक, भर्ती घोटालों और अस्थायी नियंत्रित करना संभव नहीं है, सत्ता अच्छे दिन, करोड़ों युवाओं को हर साल नौकरी देने और फ़विधगुरू भारतफ़ का सपना दिखाया गया था। वही युवा वर्ग आज नौकरी और भविष्य की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है, जनता का भरोसा वर्तमान सरकार से तेजी से कमजोर पड़ता दिख रहा है। किसान आंदोलनों, अग्निवीर योजना के विरोध, पेपर लीक, आरक्षण विवाद और मतदाता सूची से नाम काटे जाने ध्रष्टाचार जैसे आरोपों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यायपालिका को लेकर असंतोष और

अविश्वास बढ़ा है। हाल में बेरोजगार युवाओं को लेकर मुख्य न्यायाधीश की कथित टिप्पणी ने युवाओं के आक्रोश को और हवा दी है। जब जनता को यह महसूस होने लगे, सत्ता, प्रशासन और न्याय तीनों उसकी पीड़ा को नहीं सुन रहे हैं, तब व्यवस्था के प्रति अविश्वास खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाता है। महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज के कारण आम आदमी का जीवन मुश्किल हो गया है। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में युवाओं का उग्र असंतोष सत्ता परिवर्तन का कारण बना है। भारत में भी सोशल मीडिया के दौर में नाराजगी अधिक तेजी से फैल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत का आकार और सोच कहीं अधिक बड़ी है। यदि आर्थिक संकट, बेरोजगारी, कर्ज और राजनीतिक, धार्मिक

ध्रुवीकरण इसी तरह बढ़ते रहे, तो सामाजिक परिवर्तन की दशा में 1975 से ज्यादा गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि लोकतंत्र केवल चुनावी जितने से नहीं चलता। जब जनता की थाली महंगी हो, जब खाली हो और भविष्य अंधकारमय लगे, तब सबसे शक्तिशाली सरकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 1975 में सत्ता ने असहमति को दबाने का रास्ता चुना था। 2026 के भारत में सत्ता के सामने यही चुनौती है। वर्तमान सरकार लोकतंत्र में पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था जिसमें समाज के सभी कमजोर वर्ग को राहत मिले। यह रास्ता चुनेगी या एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश करेगा।

फुजियामा पावर सिस्टम्स रतलाम में लगाएगी 1.2 गीगावाट का सौर सेल संयंत्र

नई दिल्ली।

फुजियामा पावर सिस्टम्स मध्य प्रदेश के रतलाम में 1.2 गीगावाट का टॉपकॉन सौर सेल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। कंपनी उत्तर प्रदेश के दादरी संयंत्र में एक गीगावाट की मोनो पीईआरसी सौर सेल विनिर्माण सुविधा संचालित करती है। फुजियामा पावर सिस्टम्स ने शुक्रवार को कहा कि रतलाम में 1.2 गीगावाट टॉपकॉन क्षमता जुड़ने के साथ कंपनी सौर मूल्य श्रृंखला में अपनी एकीकृत विनिर्माण क्षमताओं को काफी मजबूत करेगी। रतलाम टॉपकॉन संयंत्र का वाणिज्यिक संचालन वित्त वर्ष 2027-28 की पहली तिमाही से शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना के लिए अनुमानित निवेश 350 करोड़ रुपये है, जिसे ऋण एवं आंतरिक संसाधनों के संयोजन से वित्तपोषित किया जाएगा। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि यह विस्तार हमारी एकीकरण क्षमता को मजबूत करता है, लागत नियंत्रण को बेहतर बनाता है और डीसीआर-अनुपालन सौर सेल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करता है। फुजियामा पावर सिस्टम्स रूफटॉप सौर समाधान प्रदान करने वाली एक प्रमुख कंपनी है। इसका कारोबार सौर पैनल, इन्वर्टर, लिथियम व ट्यूबलर बैटरी, चार्जर तथा पावर-इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के विस्तृत खंड में फैला है।

सेंट्रल बैंक में सरकार का निवेश, 2455 करोड़ जुटाने की योजना

नई दिल्ली।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी घटाने जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए बैंक में कुल 8 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेची जाएगी। शुरुआत में 4 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जाएगी, जबकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त 4 प्रतिशत हिस्सेदारी ग्रीन शू विकल्प के तहत उतारी जा सकेगी। शुक्रवार को बड़े और संस्थागत निवेशक बोली लगा सकेगी, वहीं खुदरा निवेशकों के लिए बोली सोमवार को खुलेगी। फिलहाल बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 89.27 प्रतिशत है। अगर पूरी 8 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक जाती है, तो सरकार को करीब 2,455 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। यह कदम बाजार में पब्लिक शेयरहोल्डिंग बढ़ाने और विनिवेश से राजस्व जुटाने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

भारत के असंगठित क्षेत्र में रोजगार पहली बार 15 करोड़ के पार

सेवा क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों की अगुवाई में रोजगार में 15.51 फीसदी की बढ़ोतरी

नई दिल्ली।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी तिमाही बुलेटिन के अनुसार, भारत के असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार ने जनवरी-मार्च 2026 की तिमाही में पहली बार 15 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। यह पिछले वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले 15.51 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है, जो 13.13 करोड़ से बढ़कर 15.17 करोड़ हो गया है। एनएसओ ने इस वृद्धि को क्षेत्र में स्वस्थ श्रम बाजार और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के लिए रोजगार के प्रमुख स्रोत के रूप में बताया है। एनएसओ के तिमाही बुलेटिन के मुताबिक अनुमानित प्रतिष्ठानों की संख्या 16.7 प्रतिशत बढ़कर 9.16 करोड़ हो गई। यह विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से मजबूत रहा, जहां प्रतिष्ठानों में सालाना 20.46 प्रतिशत और रोजगार में 21.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो शहरी क्षेत्रों (क्रमशः 12.59 और 10.39 फीसदी) की तुलना में काफी अधिक है। सेवा क्षेत्र इस वृद्धि का मुख्य चालक रहा, जहां प्रतिष्ठानों में 24.82 प्रतिशत और रोजगार में 31.13 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे यह असंगठित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता खंड बन गया। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में 10 फीसदी की वृद्धि देखी गई, जबकि व्यापार क्षेत्र में 2.2 फीसदी की वृद्धि हुई। कुल कार्यबल में वर्किंग ओमेनस का दबदबा रहा, जिनकी हिस्सेदारी बढ़कर 60.97 फीसदी हो गई। महिला श्रमिकों का इस क्षेत्र के कुल रोजगार में लगभग 29 फीसदी योगदान रहा। डिजिटल अपनाने में भी तेजी देखी गई, जहां 81 प्रतिशत प्रतिष्ठानों ने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग किया और समान प्रतिशत ने कैशलेस लेनदेन को अपनाया। इसके अतिरिक्त, औपचारिकता की दिशा में भी प्रगति हुई है, पंजीकृत प्रतिष्ठानों का हिस्सा एक साल पहले के 36.2 फीसदी से बढ़कर 41.37 फीसदी हो गया है, जो इस क्षेत्र में बढ़ती संरचनात्मक मजबूती को दर्शाता है।

रिलायंस पावर को जनवरी-मार्च तिमाही में 494 करोड़ का घाटा

नई दिल्ली।

रिलायंस पावर ने जनवरी-मार्च तिमाही में 494 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है। कंपनी ने पिछले वर्ष की समान तिमाही में 125.57 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। रिलायंस पावर ने शेर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में कुल आय घटकर 1,946.33 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 2,065.64 करोड़ रुपये थी। कंपनी को वित्त वर्ष 2025-26 में 336.89 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जबकि 2024-25 में इसने 2,947.83

करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया था। वहीं कुल आय 8,257.04 करोड़ रुपये से घटकर 7,988.52 करोड़ रुपये रह गई। कंपनी के निदेशक मंडल ने पात्र संस्थागत खरीदारों को शेर व उससे जुड़े साधनों और/या अन्य पात्र प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह पात्र संस्थागत नियोजन (व्यूआईपी) और/या अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव या दोनों के संयोजन के जरिये किया जाएगा। निदेशक मंडल ने 3,000 करोड़ रुपये तक के सुरक्षित/असुरक्षित, परिपक्व होने

शेर बाजार तेजी के साथ बंद

संसेक्स 231, निफ्टी 64 अंक उछला

मुम्बई।

शेर बाजार शुक्रवार को बंद के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में तेजी दुनिया भर के बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बाद भी बैंकिंग और वित्तीय शेरों में खरीदारी हावी होने से आई है। इसके अलावा रुपये में आई मजबूती से भी बाजार को बल मिला है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेरों वाला बीएसई संसेक्स 231.99 अंक बढ़कर 75,415.35 अंक पर बंद हुआ।

वहीं 50 शेरों वाला एनएसई निफ्टी 64.60 अंक उछलकर 23,719.30 अंक पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान संसेक्स के 30 में से 17 शेर बढ़त के साथ बंद हुए। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स, कोटक बैंक और बजाज फिनसर्व में एक फीसदी से अधिक तेजी आई। दूसरी ओर आईटीसी, पावरग्रिड, बीईएल, भारती एयरटेल, इन्फोसिस के शेर गिरे हैं। निफ्टी के शेरों में श्रीराम फाइनेंस और एक्सिस बैंक

में सबसे ज्यादा तेजी रही। बॉडर मार्केट में निफ्टी मिडकैप 0.14 फीसदी उछला जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 0.15 फीसदी गिरा। निजी निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक में तेजी रही जबकि निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी मीडिया के शेर टूटे। इससे पहले आज सुबह निफ्टी 127.40 अंक चढ़कर 23,786.65 पर पहुंच गया। वहीं, बीएसई संसेक्स 488.97 अंक उछलकर 75,681.20 के स्तर पर कारोबार

करता दिखा। हालांकि, मुख्य सूचकांकों में बढ़त के बावजूद, बाजार के व्यापक हिस्से में कमजोरी का माहौल देखने को मिला। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.13 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.08 फीसदी की गिरावट रही। अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक वार्ताओं पर निवेशकों की करीबी नजर है, खासकर ऐसी रिपोर्ट्स के बाद कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को देश के भीतर ही रखने की योजना बना रहा है।

बीएसई ने चुनिंदा स्मॉलकैप शेरों के सर्किट फिल्टर घटाए

असामान्य तेजी और कम लिक्विडिटी वाले शेरों पर प्राइस कटेनगेट मेजर्स लागू

नई दिल्ली।

शेर बाजार में बढ़ती अस्थिरता और चुनिंदा स्मॉलकैप शेरों में तेज उतार-चढ़ाव के मद्देनजर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने महत्वपूर्ण निगरानी उपाय किए हैं। 22 मई से एक्सचेंज ने कई कम लिक्विडिटी वाले शेरों के सर्किट फिल्टर को कम कर दिया है और निवेशकों को ट्रेड-टू-ट्रेड सेगमेंट से जुड़े नियमों के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी है। बीएसई के अनुसार यह कदम प्राइस कटेनगेट मेजर्स का हिस्सा है, जो उन शेरों पर लागू होते हैं जहाँ असामान्य मूल्य वृद्धि, अत्यधिक सड़बाजी, कम तरलता या ट्रेडिंग वॉल्यूम में अचानक वृद्धि देखी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य शेरों में अनियंत्रित तेजी या गिरावट को रोकना और खुदरा निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इन उपायों के तहत आटोलाइन इंडस्ट्रीज का प्राइस बैंड 20 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है, जबकि केंडोर टीचेक्स का सर्किट 20 फीसदी से 10 फीसदी किया गया है। जेटमाल स्पाइसेस एंड मसाला, पार्वनाथ डेवलपर्स और शूरा डिजाइन जैसे शेरों के लिए सर्किट फिल्टर को 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दिया गया है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सर्किट फिल्टर घटाने से शेरों की दैनिक मूल्य सीमा सीमित हो जाती है, जिससे उनकी अत्यधिक वोलैटिलिटी पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है। यह कदम बाजार में स्थिरता लाने के लिए महत्वपूर्ण है।



टीसीएस कर्मचारियों पर मेहरबान 80 प्रतिशत तक बोनस देकर दी बड़ी राहत

बेंगलुरु।

जब कई बड़ी आईटी कंपनियों कर्मचारियों को बेहतर सैलरी हाइक देने से पीछे हट रही हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने अपने मिड और टॉप लेवल के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर दी है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2024) में वेरिफेबल पेआउट को 80 प्रतिशत तक बढ़ाया है, जिससे हजारों कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। यह फैसला आईटी सेक्टर में मंदी के बाद कर्मचारियों के प्रदर्शन को पुनर्कृत करने और उनका मनोबल बढ़ाने के मकसद से हुआ है। टीसीएस ने जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए मिड और आला लेवल के कर्मचारियों को औसतन 60-80 प्रतिशत वेरिफेबल पेआउट दिया है। यह

लागातार दूसरी तिमाही है जब कंपनी ने इतना उदार भुगतान किया है। पिछले करीब दो सालों से यह पेआउट 20-50 प्रतिशत के बीच ही रहा था, जिससे कर्मचारियों को काफी नुकसान हो रहा था। कई कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी के साथ यह अतिरिक्त राशि मिली है, जिससे उनके चेहरे पर खुशी लौट आई है।

हालांकि, यह पेआउट कंपनी की सख्त ऑफिस अटेंडेंस नीति से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी की ऑफिस अटेंडेंस 85 प्रतिशत से कम है, तब उस कर्मचारी को पूरा वेरिफेबल पेमेंट नहीं मिलता। 75-85 प्रतिशत अटेंडेंस पर 75 प्रतिशत और 60-75 प्रतिशत अटेंडेंस पर केवल 50 प्रतिशत पेआउट दिया जाता है। 60 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले कर्मचारियों को, तब कोई बोनस

प्रेस्टीज एस्टेट्स का मुनाफा बढ़कर 250 करोड़ हुआ

नई दिल्ली।

प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का जनवरी-मार्च तिमाही में मुनाफा 10 गुना होकर 250.1 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का मुनाफा पिछले वर्ष की समान अवधि में 25 करोड़ रुपये था। प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स ने शेर बाजार को दी सूचना में बताया कि जनवरी-मार्च तिमाही में कुल आय भी दोगुने से अधिक होकर 4,143.5 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 1,589.3 करोड़ रुपये थी। गत वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का मुनाफा दो गुना से अधिक होकर 1,195.5 करोड़ रुपये रहा जो 2024-25 में 467.5 करोड़ रुपये था। कुल आय 7,735.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 13,195.5 करोड़ रुपये हो गई। बेंगलुरु स्थित प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड देश के प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर में से एक है।



टीसीएस कर्मचारियों पर मेहरबान 80 प्रतिशत तक बोनस देकर दी बड़ी राहत



नहीं मिलता। कंपनी ने अप्रैल 2024 से वित्त वर्ष 2025 के लिए सैलरी बढ़ोतरी भी शुरू की है, जिसमें औसत हाइक करीब 5 प्रतिशत रहा है। यह बढ़ोतरी परफॉर्मंस बैंड के आधार पर अन्य कर्मचारियों के लिए एक उदाहरण बन सकता है, जो कर्मचारियों की उत्पादकता और अटेंडेंस को बढ़ावा देगा। इस पिछले दो सालों में वेरिफेबल पेमेंट कम होने से उन्हें 4-5 लाख रुपये का नुकसान हुआ था, लेकिन अब

इस अच्छे पेआउट से उन्हें कुछ राहत मिली है। टीसीएस के इस कदम से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और बेहतर परफॉर्मंस के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। कंपनी का यह फैसला आईटी सेक्टर की अन्य कंपनियों के लिए एक उदाहरण बन सकता है, जो कर्मचारियों की उत्पादकता और अटेंडेंस को बढ़ावा देगा। इस खबर पर टीसीएस ने फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

मूमार्क और जापान की अकिबा फार्म के बीच साझेदारी

भारत में प्रीमियम जेलाटो उत्पादों का विकास और डेयरी क्षेत्र में नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली।

भारतीय डिजिटल डेयरी कंपनी मूमार्क ने जापानी डेयरी दिग्गज अकिबा फार्म होल्डिंग्स के साथ एक रणनीतिक समझौता जापान (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में प्रीमियम जेलाटो उत्पादों का विकास करना और डेयरी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। यह समझौता मूमार्क की भारत के 17 राज्यों के 42,000 से अधिक

गांवों तक फैली व्यापक प्रौद्योगिकी-आधारित दुग्ध आपूर्ति श्रृंखला को अकिबा फार्म होल्डिंग्स के 140 वर्षों के पारंपरिक जापानी डेयरी अनुभव के साथ एकीकृत करेगा। मूमार्क के नेटवर्क से 35 लाख से अधिक पंजीकृत किसान जुड़े हैं। समझौते के तहत दोनों कंपनियां प्रीमियम डेयरी उत्पादों के लिए एक समर्पित नवाचार प्रयोगशाला स्थापित करेंगी, जो जापानी तकनीक और जापान (कोशल में महारत) से प्रेरित

होगी। इसके अतिरिक्त, पशु पोषण और दूध उत्पादन में सुधार के लिए वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई जापानी टोटल मिक्सड रेशन (टीएमआर) आधारित पशु आहार प्रणाली भी भारत में शुरू की जाएगी, जिसका विस्तार बाद में मूमार्क के छोटे किसानों के नेटवर्क तक किया जाएगा। मूमार्क के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने इस साझेदारी को भारत के डिजिटल डेयरी तंत्र की बढ़ती ताकत और वैश्विक संभावनाओं



का प्रमाण बताया है। यह सहयोग दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश भारत (वार्षिक 24.8 करोड़ टन उत्पादन) के डेयरी उद्योग में नई ऊंचाइयों को छूने की उम्मीद जगाता है।

आरबीआई जून से बढ़ाएगा ब्याज दरें, महंगे होंगे होम और कार लोन!

महंगाई और वैश्विक दबाव के चलते केंद्रीय बैंक पर बढ़ी चिंता

नई दिल्ली।

बढ़ती महंगाई के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आपकी जेब पर एक और झटका देने की तैयारी में है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी की है कि आरबीआई जून से ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना शुरू कर सकता है, जिससे आपकी कार, होम और पर्सनल लोन की मासिक किस्त (ईएमआई) में इजाफा होगा। अर्थशास्त्रियों ने अपने नोट में कहा कि ईरान संकट के कारण कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से बढ़ती महंगाई के जोखिम को देखते हुए आरबीआई जून से ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है। अगस्त में एक और बढ़ोतरी संभव है। वैश्विक बांड-योल्ट में वृद्धि और अन्य एशियाई केंद्रीय बैंकों के फैसले से आरबीआई पर दबाव बढ़ रहा है। मौजूदा हालात में, आरबीआई रेपो दर में कुल 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर सकता है, जिसे जून और अगस्त के बीच बराबर बांटा जाएगा। हालांकि, यदि 3 जून की एमपीसी बैठक में वृद्धि नहीं हुई, तो अगस्त में एक साथ 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है। नोट में यह भी कहा गया है कि यदि कमोडिटी की कीमतों पर दबाव और कमजोर रुपये के कारण महंगाई उम्मीद से अधिक बढ़ती है, तो आरबीआई मार्च 2023 के अंत तक रेपो दर में 25 से 50 आधार अंकों की ओर वृद्धि कर सकता है।

स्विगी को एओए में बदलाव करने नहीं मिली शेरधारकों की मंजूरी

कंपनी गठन के कायदे-कानून में बदलाव को 72.35 फीसदी समर्थन मिला, जो आवश्यक सीमा से कम रहा



नई दिल्ली।

ऑनलाइन खाद्य एवं पेय सामग्री आपूर्ति मंच स्विगी को खुद को भारतीय स्वामित्व एवं नियंत्रित कंपनी (आईओसीसी) के रूप में योग्य बनाने के लिए आवश्यक शेरधारक मंजूरी नहीं मिल पाई है। कंपनी के गठन के कायदे-कानून (एओए) में संशोधन का प्रस्ताव अपेक्षित 75 प्रतिशत समर्थन से 2.65 प्रतिशत कम रहा, जिससे यह पारित नहीं हो सका। शेर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार डाक मतपत्र के माध्यम से की गई ई-वोटिंग प्रक्रिया में यह प्रस्ताव आवश्यक सीमा से 2.65 प्रतिशत कम रहा। हालांकि, रैनन डी कास्त्रो आल्बेस पिंटो को गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने का एक अन्य

प्रस्ताव 98.98 प्रतिशत भारी बहुमत से पारित हो गया। इस परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए स्विगी के प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी इस निर्णय को स्वीकार करती है। उन्होंने पुष्टि की कि प्रस्तावित संशोधन भारतीय विदेशी मुद्रा कानूनों व विनियमों (फेमा) के तहत भारतीय स्वामित्व एवं नियंत्रित कंपनी (आईओसीसी) बनने के दीर्घकालिक प्रयास का हिस्सा थे, जो उनके लिए प्रार्थनात्मक बनी रहेगी। कंपनी ने कहा है कि वह अपने शेरधारकों के साथ संवाद जारी रखेगी और भविष्य में सकारात्मक परिणाम की दिशा में काम करेगी। आईओसीसी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनी में भारतीय निवासियों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक होना और नियामकीय मंजूरी मिलना आवश्यक है।

वेदांता की इकाई तलवंडी साबो पावर पर 127 करोड़ का जुर्माना

अपीलीय विद्युत अधिकरण का फैसला रद्द, पीएसईआरसी का आदेश बहाल



नई दिल्ली।

उच्चतम न्यायालय ने वेदांता लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) को पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को करीब 127 करोड़ रुपये और उस पर लागू थ्रिलीब भुगतान अधिभार का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह फैसला जनवरी 2017 में ग्रिड कोड के अनुसार उपलब्धता की गलत घोषणा से संबंधित एक मामले में आया है। वेदांता लिमिटेड ने शेर बाजार को सूचित किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलीय विद्युत अधिकरण (एट्टेल) के उस फैसले को निरस्त कर दिया है, जिसने पहले टीएसपीएल को राहत दी थी। इसके बजाय, शीर्ष अदालत ने पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग

(पीएसईआरसी) के मूल आदेश को बहाल कर दिया है, जिसमें टीएसपीएल पर जुर्माना लगाया गया था। यह आदेश जनवरी 2017 के लिए ग्रिड कोड के नियमों के तहत बिजली संयंत्र की उपलब्धता की गलत घोषणा के मामले से जुड़ा है। तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल), पंजाब के मानसा जिले के बनावाला में स्थित एक 1,980 मेगावाट की महत्वपूर्ण कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है। यह अपनी 100 प्रतिशत बिजली पीएसपीसीएल को आपूर्ति करती है और बड़े पैमाने पर विश्वसनीय बिजली उत्पादन के जरिये पंजाब की लगभग 35 प्रतिशत ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंपनी अब बकाया राशि और विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान करेगी।

सेंट्रल बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री शुरू

बिक्री से सरकार का 2,456 करोड़ जुटाने का लक्ष्य

नई दिल्ली।

सरकार ने शुक्रवार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी 4 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री पेशकश (ओएफएस) लॉन्च की, जिसका फ्लोर प्राइस 31 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। यह पेशकश संस्थागत निवेशकों के लिए खुल गई है, जबकि खुदरा निवेशक सोमवार से इसमें बोली लगा सकेंगे। इस ओएफएस में अतिरिक्त 4 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए ग्रीनशू विकल्प भी

शामिल है, जिससे सरकार कुल 8 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेच सकती है। इस बिक्री से सरकार को करीब 2,456 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है। यह कदम सरकार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी (एमपीएस) मानक को पूरा करने में भी सहायता करेगा, जिसके तहत सभी सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी अनिवार्य है। वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ



इंडिया में सरकार की 89.27 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो ग्रीनशू विकल्प के उपयोग के बाद घटकर 81.27 प्रतिशत रह जाएगी। 31 रुपये का यह न्यूनतम मूल्य गुरुवार को बीएसई पर शेर के 33.91 रुपये के बंद भाव से 8.58

प्रतिशत कम है। वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार पहले ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक से बिक्री पेशकश के जरिये क्रमशः 2,624 करोड़ रुपये और 1,419 करोड़ रुपये जुटा चुकी है।

राजस्थान को मिलेंगी 600 इलेक्ट्रिक-रोडवेज बसें, 10 शहरों में विकसित होंगे आधुनिक बस पोर्ट

जयपुर। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में शुक्रवार को परिवहन मुख्यालय में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की उच्च स्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में परिवहन सेवाओं के आधुनिकीकरण, सड़क सुरक्षा, यात्री सुविधाओं के विस्तार और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी योजनाओं और तकनीकों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि राजस्थान का परिवहन तंत्र देश में मॉडल के रूप में स्थापित हो सके।

आधुनिक बस पोर्ट विकसित होंगे

उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की

रोकथाम के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने, परिवहन सेवाओं को सुलभ और जनहितकारी बनाने, नए बस स्टैंड विकसित करने तथा मौजूदा बस स्टैंडों की मरम्मत और रखरखाव के निर्देश दिए। साथ ही आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। बैठक में बताया गया कि अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और बीकानेर सहित प्रदेश के 10 जिला मुख्यालयों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस पोर्ट विकसित किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री ने संबंधित परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

इलेक्ट्रिक टेस्ट ट्रैक का ऑटोमेशन

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि

इलेक्ट्रिक लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य के सभी 35 इलेक्ट्रिक टेस्ट ट्रैक का ऑटोमेशन किया जा रहा है। एजेंसी

के सहयोग से 14 स्थानों पर ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक टेस्ट ट्रैक शुरू हो चुके हैं, जबकि शेष स्थानों पर कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए

गए हैं। गलत स्लॉट बुकिंग रोकने के लिए पिनकोड आधारित मैपिंग व्यवस्था भी लागू की गई है। बैठक में रोडवेज बेड़े के आधुनिकीकरण

की समीक्षा करते हुए बताया गया कि 300 इलेक्ट्रिक बसों और 300 नई रोडवेज बसों की खरीद प्रक्रिया मिशन मोड पर जारी है।

सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर
सड़क सुरक्षा के तहत 3 हजार से अधिक चिकित्सा कर्मियों को एडवांस लाइफ सपोर्ट तथा 15 हजार से अधिक नागरिकों को बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सड़क सुरक्षा कोष से पुलिस विभाग को आधुनिक ब्रेथ एनालाइजर, इंटरसेप्टर वाहन, रिफ्लेक्टिव क्रॉस बेल्ट और अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही वाहनों पर हार्ड सिक्वोरिटी रिजिस्ट्रेशन प्लेट और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का कार्य भी तेज गति से चल रहा है।

'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' का विस्तार
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज'

योजना के तहत पहले चरण में 357 मार्गों पर बस संचालन किया जा रहा है। कई मार्गों पर यात्री भार 100 प्रतिशत से अधिक दर्ज किया गया है। दूसरे चरण के तहत दूध कार्यादेश जारी किए गए हैं और शेष मार्गों पर निविदा प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने जन-अभाव अभियोगों के त्वरित निस्तारण पर भी जोर दिया। बैठक में बताया गया कि संपर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवारों के निस्तारण का औसत समय 18 दिनों से घटकर 11 दिन रह गया है तथा राहत प्रतिशत बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया है। बैठक में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा, विशिष्ट सहायक भगवत सिंह राठी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फिर करोड़ों का गांजा बरामद

बैकोंक से आए यात्री की टॉली बैग से 20 किलो से ज्यादा गांजा जब्त, डीआरआई और कस्टम विभाग की संयुक्त कार्रवाई

अहमदाबाद।

शहर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक बार फिर बड़ी ड्रम्स तस्करी का मामला सामने आया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। छल ही में 50 करोड़ रुपये की हेरोइन पकड़े जाने के बाद अब बैकोंक से आए एक यात्री के पास से 20 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, 20 मई की मध्यरात्रि के आसपास बैकोंक से अहमदाबाद पहुंची थाई एयरवेज की फ्लाइट में एक यात्री के पास गांजा होने की सूचना डीआरआई को मिली थी। इसके बाद डीआरआई ने कस्टम विभाग को अलर्ट किया और सभी यात्रियों की गहन जांच शुरू की गई। तलाशी के दौरान एक यात्री की टॉली बैग से हरे रंग के सूखे पौधों जैसे पदार्थ के 19 पैकेट बरामद हुए। जांच में यह पदार्थ गांजा निकला। कस्टम विभाग ने एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत कुल 20.366 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ जब्त कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अंगद श्रीवास्तव निवासी सहरारपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपी को एनडीपीएसएक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर आगे की जांच के लिए डीआरआई को सौंप दिया गया है। प्रारंभिक पुछताछ में सामने आया कि आरोपी दिल्ली से बैकोंक गया था, जहां किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे यह खेप सौंपी थी। इसके बाद वह गांजा लेकर अहमदाबाद पहुंचा और यहां से दिल्ली जाने की तैयारी में था।

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, पंजाब सरकार का बड़ा अभियान

चंडीगढ़।

आवारा कुत्तों और पशुओं से बढ़ते खतरों पर सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी के बाद पंजाब सरकार हरकत में आई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि राज्य में बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कल से आवारा तथा खतरनाक कुत्तों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री मान ने इस फैसले के लिए सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद भी किया है। सीएम मान के अनुसार, पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर व्यापक कार्रवाई करेगी। इस घोषणा के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। संबंधित विभागों को तत्काल तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय, जबकि ग्रामीण इलाकों में पशुपालन तथा पंचायत विभाग खिलाफ इस अभियान को अंजाम देगा। यह अभियान सड़कों, राजमार्गों, स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष रूप से केंद्रित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि इन क्षेत्रों से आवारा कुत्तों की मौजूदगी रोकेना प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी है। फरवरी में पशुओं को निर्धारित आश्रय स्थलों में रखा जाएगा, जहां उनके लिए भोजन, पानी और चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था होगी। शीघ्र अदालत ने संस्थानों को अपने परिसरों को मजबूत घेराबंदी करने, नोडल अधिकारी नियुक्त करने और कुत्तों की नसबंदी तथा टीकाकरण के बाद उन्हें दोबारा अड्डे परिसरों में न छोड़कर निर्धारित डॉग शेल्टर में रखने का भी निर्देश दिया है।

डेटिंग ऐप्स पर हुई दोस्ती पड़ी भारी, मुंबई के युवक से 21.5 लाख की ठगी

मुंबई।

मुंबई में सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स के जरिए होने वाली साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। डेटिंग ऐप पर हुई एक साधारण बातचीत ने 38 वर्षीय युवक को 21.5 लाख रुपये का नुकसान पहुंचा दिया। आरोपी महिला ने पहले दोस्ती की, फिर ऑनलाइन

ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर युवक को ठग लिया। पुलिस के अनुसार, मुंबई के भायखला इलाके में रहने वाला एक इंटीरियर डिजाइनर कुछ दिनों पहले बंबल डेटिंग ऐप पर एक युवती के संपर्क में आया था। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई, लेकिन धीरे-धीरे महिला ने युवक का भरोसा जीत लिया। बाद में बातचीत और फिर पर होने लगी। भरोसा कायम होने के बाद महिला ने युवक को ऑनलाइन शेयर और फरिक्स ट्रेडिंग से कम समय में मोटा मुनाफा कमाने का सपना दिखाया। उसने युवक को नाम के फ्लैटफॉर्म पर निवेश करने को सलाह दी और बड़े रिटर्न का दावा किया। युवक ने 1 अप्रैल को शुरुआत में 50 हजार रुपये निवेश किए। इसके बाद उसे एक डेशबोर्ड पर भारी मुनाफा दिखाया गया, जिससे उसका विश्वास और बढ़ गया। आरोपी लगातार उसे अधिक निवेश करने के लिए उत्सुकते री। अगले कुछ हफ्तों में युवक ने अलग-अलग बैंक खातों में 10 लाख और 11 लाख रुपये समेत कुल 21.5 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में युवक को उसके अकाउंट में करीब 69 लाख रुपये का मुनाफा दिखाई दिया। लेकिन जब उसने रकम निकालने की कोशिश की, तब आरोपियों ने 30 प्रतिशत एडवांस टैक्स जमा करने की मांग की। लगातार और पैसों की मांग होने पर युवक को शक हुआ और उसने तुरंत साइबर फ्रॉड रेलफ्लाइन से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल सेंट्रल रिजन साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंक खातों, डिजिटल ट्रैकिंग और कथित महिला के सोशल मीडिया प्रोफाइल को जांच कर रही है।

दिल्ली में चक्का जाम का दोहरा असर: सब्जियां महंगी, यात्री परेशान

नई दिल्ली।

देश की राजधानी दिल्ली में ऑटो-टैक्सी हड़ताल के दूसरे दिन शुक्रवार को शहर के निवासियों को महंगाई और आवागमन दोनों मोर्चों पर रोहर झटका लगा। 3 दिवसीय हड़ताल के कारण सब्जियों की कीमतें दोगुनी हो गईं, वहीं यात्रियों को भी गंतव्यों तक पहुंचने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

दिल्ली की सबसे बड़ी थोक मंडी, अजमेरगढ़ मंडी में सब्जियों की आवक में भारी कमी दर्ज की गई। आपूर्ति बाधित होने के कारण धनिया जैसी हरी सब्जियों की कीमत 40 से बढ़कर 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि अदरक भी 100 से बढ़कर 120-130 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। मंडियों में केवल एक या दो दिन का ही स्टॉक बचा है, जिससे आने वाले दिनों में सब्जियों की किल्लत और बढ़ने की आशंका है। दिल्ली की जबरन कीमतों के



पूरा करने के लिए केवल 20 टुकड़े ही मंडी में पहुंच पाए। सब्जियों के दाम बढ़ने के अलावा, हड़ताल का असर यात्रियों पर भी पड़ा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार और मंडी हाउस मेट्रो जैसे व्यस्त स्थानों पर लोगों को यात्रा करने में परेशानी हुई। ट्रांसपोर्ट और टैक्सी यूनियनों ने दिल्ली सरकार के कमर्शियल वाहनों पर पर्यावरण शक्तिपूर्वक ससेबन और सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में यह हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार द्वारा परिवहन क्षेत्र पर थोपी गई अन्यायपूर्ण और अनुचित नीतियों के खिलाफ है।

मदेनजर टैक्सी और ऑटो के किराए में ब्योतरी की भी मांग की है। चालक शक्ति यूनियन के उपाध्यक्ष अनुराग कुमार राठौर ने बताया कि सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण मध्यम-वर्गीय चालक अपने परिवारों का भरण-पोषण करने में संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह हड़ताल कमीशन फॉर एयर क्राफ्टों में नैनजमेंट (सीएक्सएम), अदालतों और दिल्ली सरकार द्वारा परिवहन क्षेत्र पर थोपी गई अन्यायपूर्ण और अनुचित नीतियों के खिलाफ है।

पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

सोना पप्पू गैंग से संबंधों की जांच तेज

कोलकाता।

पश्चिम बंगाल में जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) और धोखाधड़ी के एक कथित बड़े पैकेट के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार सुबह से राज्यव्यापी बड़ी कार्रवाई शुरू की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोलकाता से लेकर मुर्शिदाबाद तक कई ठिकानों पर एक साथ तबड़दोलत छापेमारी की है। इस पूरे मामले के तार कोलकाता पुलिस के पूर्व उपायुक्त (डीसीपी) शांतनु सिन्हा विश्वास और सोना पप्पू नामक शब्द से जुड़े हुए हैं।

जांच को आगे बढ़ाते हुए ईडी की अलग-अलग टीमों ने शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे योगनाबद तरीके से अपनी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान जांच एजेंसी के अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों से लेकर बड़े कारोबारियों के अत्यासों

और प्रतिष्ठानों पर दबिश दी है। कोलकाता में केंद्रीय एजेंसी तीन मुख्य जगहों—चक्रबेरिया, रॉयड स्ट्रीट और कस्बा में तलाशी अभियान चला रही है। चक्रबेरिया में कारोबारी अतुल कटारिया के आवास पर तलाशी ली जा रही है, जबकि रॉयड स्ट्रीट पर स्थित एक होटल को भी रडार पर लिया गया है। इसके अलावा, कस्बा इलाके में कोलकाता पुलिस के एक सैन्य-इंस्पेक्टर के घर पर भी गहन छानबीन जारी है। वहीं, ईडी की एक अन्य टीम मुर्शिदाबाद के कांडी स्थित पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के पैतृक आवास पर पहुंचकर दस्तावेजों को खंगल रही है। जांचकर्ताओं के अनुसार, शांतनु सिन्हा के खिलाफ फले लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। वर्तमान में अधिकारी उनके और संबंधी जय कामदार के बीच संबंधों की कांडियों को



जोड़े रहे हैं, जो सोना पप्पू का बेहद करीबी माना जाता है। पूछताछ के दौरान पूर्व डीसीपी के सामने कई संदिग्ध व्हाट्सएप चैट भी रखी गईं। कालीघाट पुलिस थाने के पूर्व प्रभारी अधिकारी रहे शांतनु सिन्हा वर्तमान में कई अन्य मामलों में भी केंद्रीय एजेंसी की जांच के दायरे में हैं। गौरतलब है कि इस छापेमारी से ठीक एक दिन पहले, बृहस्पतिवार को ईडी ने कोलकाता पुलिस से सुरक्षा नियंत्रण विभाग में तैनात डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास को 10 घंटे से अधिक की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

माता-पिता आईएस अधिकारी.... फिर भी उनके बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता क्यों है?

सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के आरक्षण को लेकर उठाए सवाल

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के आर्थिक और शैक्षणिक रूप से संयत परिवारों के बच्चों को आरक्षण का लाभ लगातार देने पर गंभीर सवाल उठा दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि कोर्ट के माध्यम से प्राप्त सामाजिक गतिशीलता को अंततः परिवारों को आरक्षण प्रणाली से बाहर करना चाहिए। न्यायमूर्ति जी.वी. नारगला और न्यायमूर्ति उज्वल भूषान की पीठ ने विशेष रूप से उन बच्चों के लिए आरक्षण की आवश्यकता पर प्रश्नचिह्न लगाया, जिनके माता-पिता दोनों भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि यदि माता-पिता दोनों आईएएस

अधिकारी हैं और सरकारी सेवा में हैं, तब उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और उन्हें पर्याप्त सामाजिक उन्नति के मौके मिले हैं। इसके बाद उनके बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता क्यों है? शीर्ष अदालत ने जोर दिया कि शैक्षणिक और आर्थिक सहजिकरण के साथ सामाजिक गतिशीलता भी आती है। इसके बाद यदि उन्नत परिवारों के बच्चे भी लगातार आरक्षण की मांग करते, तब यह समझना कभी खत्म नहीं होगा और इसका समाधान नहीं निकलेगा। मामले में अधिवक्ता शशांक रत्न ने दलील दी कि संबंधित व्यक्तियों को उनके वेतन के कारण नहीं, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति के कारण बाहर रखा गया है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और उच्च आय वर्ग (क्रीमी लेयर) के बीच अंतर



करने की मांग कर कहा कि क्रीमी लेयर के लिए मानदंड ईडब्ल्यूएस की तुलना में कहीं अधिक उदार होने चाहिए। इसके जवाब में, न्यायमूर्ति नारगला ने स्पष्ट किया कि ईडब्ल्यूएस में केवल आर्थिक पिछड़ापन होता है, जबकि सामाजिक पिछड़ापन नहीं। उन्होंने कहा कि एक निश्चित संतुलन बनाए रखना जरूरी है और भले ही कोई व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो,

लेकिन माता-पिता द्वारा आरक्षण का लाभ उठाकर एक निश्चित स्तर प्राप्त कर लेने के बाद स्थिति बदल जाती है। इन दलीलों को सुनने के बाद, न्यायालय ने याचिका पर नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। यह घटनाक्रम आरक्षण के इर्द-गिर्द पुरानी बहस को फिर से गरमा देता है कि क्या आर्थिक स्थिति जाति-आधारित सामाजिक असमानता पर हथौड़ी हो सकती है।

नीट पेपर की बिज्जी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, खरीदने वालों की सूची हो रही तैयार

सीबीआई को महाराष्ट्र-राजस्थान में पेपर के प्रिंट निकालकर बेचने के सबूत मिले

नई दिल्ली।

सीबीआई जांच में खुलासा हुआ है कि नीट का पेपर पांच राज्यों में बिका था। सबसे ज्यादा बिज्जी महाराष्ट्र में हुई और दूसरे नंबर पर राजस्थान है। एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि अब तक गिरफ्तार हुए आरोपियों से पूछताछ और डीजिटल फॉरेंसिक खंगलने के बाद यह जानकारी सामने आई है। सीबीआई का कहना है कि आगे और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक का मामला और बड़ा हो सकता है। इसी कारण

एजेंसी अभी यह तय नहीं कर पा रही कि कितने छात्रों ने पेपर खरीदा था। जांच में सामने आया है कि कुछ परिजनों ने पेपर को आगे दूसरे लोगों को भी बेच दिया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सीबीआई को महाराष्ट्र और राजस्थान में पेपर के प्रिंट निकालकर बेचने के सबूत मिले हैं। इसी वजह से अभी यह पता लगाना मुश्किल है कि पेपर कितने लोगों तक पहुंचा। जांच में अब तक सामने आया है कि पेपर लीक अभी भी शक के दायरे में है। रिपोर्टों के मुताबिक एजेंसी ने

के छात्रों तक 'क्रेडेंशियल बैंक' पहुंचा। अब सिर्फ पेपर लीक करने वाले विचौलिय और मास्टरमाइंड ही नहीं, बल्कि भारी रकम देकर पेपर खरीदने वाले रसूलदार माता-पिता भी जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। जांच एजेंसी अब उन सभी अभिभावकों की सूची तैयार कर रही है, जिनके बैंक खातों से शिवराज मोटेगांवकर, पी वी कुलकर्णी या उनकी सहयोगी मनीषा वाघमारे के खातों में पैसे ट्रांसफर हुए थे। रिपोर्टों के मुताबिक एजेंसी ने



पेपर लीक करने और इसे बेचने वाले ज्यादातर बड़े चेहरों को बेनकाब कर दिया है, लेकिन नेशनल टैरिफ एजेंसी (एनटीए) के अलावा बाहर के कुछ किरदार अभी भी शक के दायरे में हैं। इनके खिलाफ सबूत जुटाने में

एजेंसी लगी हैं। वहीं, तीन टीमों में पेपर खरीदने वाले परिजनों और छात्रों की धरपकड़ करने की तैयारी कर रही है। 20 मई रात को महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हो चुकी है और सीबीआई जल्द ही दूसरे राज्यों में भी छापेमारी करेगी।

जल्द खत्म हो जाएगा पेट्रोल-डीजल? एलपीजी के लिए मचेगा हाहाकार

बाबा वेगा की डरा रही है अविद्यवाणी

नई दिल्ली।

इस वक्त पूरा विश्व बड़े ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पहले से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त थी, और अब अमेरिका व ईरान के बीच बढ़ता तनाव इस संकट को और गहरा कर रहा है। भू-राजनीतिक तनाव के इस माहौल के बीच, यूरोप की भविष्यवक्ता बाबा वेगा की एक कथित भविष्यवाणी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसने आम जनमानस की चिंताओं को बढ़ा दिया है। अतीत में उनकी कई भविष्यवाणियों के सच होने के दावों के कारण लोग इस नई



चेतावनी को लेकर भी आशंका है। इंटरनेट पर चल रहे दावों के अनुसार, बाबा वेगा ने वर्ष 2026 के लिए एक बड़ी चेतावनी दी थी, जिसके मुताबिक दुनिया को एक भीषण ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में अत्यधिक कमी आने की बात

कही गई है। वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और होमुज स्ट्रेट के बंद होने की आशंका इस डर को और पुख्ता कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह परिस्थिति जलमार्ग बाधित होता है, तो यथावक के साधनों में उल्लेख आ सकता है।